संख्या- 28 /1236/74-2014-25(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक 15 सितम्बर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-378 सेरी0/लेखा0/उप0क्रयपत्रा0/2014-15, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000 हजार के सापेक्ष रू0 2000 हजार की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुदान संख्या-10 के उपर्युक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत मद संख्या-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 2000 हजार के सापेक्ष रू0 2000 हजार (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित मूल्य प्रति नग (रूपए)	कुल क्रय मूल्य (रूपए)
1	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (गोरखपुर, मेरठ एवं औरैया)	3	417500	1252500
2	ह्यूमीडिटी फॉयर	2	14175	28350
3	डी-ह्यूमीडिटी फॉयर	2	65625	131250
4	आयरन रैक	30	3850	115500
5	प्लास्टिक ट्रे	44	375	52800
6	जनसेट 15 के0वी0ए0	1	345000	345000
7	स्पिलिट ए0सी0 1.5 टन	1	35000	35000
8	इलेक्ट्रानिक बैलेन्स 100 ग्राम	1	38682	38682
			योग	**1999082**

(रूपये उन्नीस लाख निन्यानबे हजार बयासी मात्र) (**पूर्णांकं में रू0 20.00 लाख**)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय-विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा क्रय की जाने वाली सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय एवं क्रय स्टोर परचेज रूल्स तथा संबंधित शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ही मशीन संयंत्र एवं उपकरण आदि सामग्री की खरीददारी सुनिश्चित की जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययिता के सम्बन्ध में धनराशि व्यय करते समय वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008/मित्0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संगत शासनादेशों के अधीन नियमान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाये तथा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से त्रैमासिक समीक्षा करते हुए व्यय की अद्यावधिक स्थिति (उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित) से शासन को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 सपठित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग,उ0प्र0,इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://srasanadesh.up.nic.in

(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) नियोजन अनुभाग-4
(8) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in